राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 2015

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री हीरालाल नागर, सदस्य, विधान सभा, कोटा विश्वविद्यालय में हुई कथित अनियमितताओं की ए.सी.बी. को निर्दिष्ट की गई जांच दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी निष्पक्षता से नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में गृह मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) अधिसूचनायें

उपनिवेशन विभाग

श्री अमराराम, राजस्व एवं उपनिवेशन राज्यमंत्री, उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

1- अधिसूचना संख्या:प.3(9)उप/2007 दिनांक 29.9.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-4 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के (अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र को) वर्णित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या:प.3(9)उप/2007 दिनांक 29.9.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-4 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के (अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र को) वर्णित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या:प.10(1)उप/2014 दिनांक 21.11.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राज.अधिनियम संख्या 27) की धारा-27 के अन्तर्गत अनुसूची में उल्लेखित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए नवीन उपनिवेशन तहसील भादरा, जिला-हनुमानगढ़ का सृजन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या:प.4(10)उप/2007 दिनांक 26.11.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 13 के उप नियम (1) के खण्ड 'घ' के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों को जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसीलों के लिये आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है;

जारी..2..

5- अधिसूचना संख्या:प.3(37)उप/1988 दिनांक 26.11.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-4 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के (अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र को) वर्णित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या:प.3(20)उप/2013 दिनांक 1.12.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-4 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के (अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र को) वर्णित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है;

7- अधिसूचना संख्या:प.3(20)उप/2013 दिनांक 1.12.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-4 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के (अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र को) वर्णित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है; एवं

8- अधिसूचना संख्या:प.3(20)उप/2013 दिनांक 1.12.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-4 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के (अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र को) वर्णित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है।

(ब) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस एण्ड डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 एवं दसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे।

(II) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़ का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री गोतम कुमार, सदस्य, विधान सभा, बड़ी सादड़ी, जिला-चित्तौड़गढ़ में एडीजे कैम्प कोर्ट को स्थाई कोर्ट में परिवर्तित करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(II) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

1- किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बाबत्; एवं

2- राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ (अजमेर) में सीटी स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत्।

II) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य, विधान सभा, झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत खानपुर को नगरपालिका बनाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(IV) श्री कंवर लाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अकलेरा में मॉडल स्कूल को तुरन्त प्रारम्भ कराने एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

5. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री ज्ञानदेव आहूजा, सभापति, प्राक्कलन समिति 'क' 2014-2015, प्राक्कलन समिति 'क' 2011-2012 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

6. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015

(I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-19)	"राजस्थान राज्य में आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-21)	"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(III) राजस्थान डायन - प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015

(I) श्रीमती अनिता भदेल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी:-

राजस्थान डायन - प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-20)

"राजस्थान राज्य में डायन – प्रताड़ना के संत्रास पर काबू पाने के लिये प्रभावी उपाय करने और राज्य में डायन वृत्ति की प्रथा का निवारण करने तथा इससे संसक्त एवं आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

7. राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा।

8. आधे घण्टे की चर्चा

श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य, विधान सभा, '**प्रदेश में विद्युत बचत हेतु सी.एफ.एल. का वितरण**' विषयक् तारांकित प्रश्न संख्या 311(13/ऊर्जा) का उत्तर, जो दिनांक 23 मार्च, 2015 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे।

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 30 मार्च, 2015